अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

398/2016/1225 सुखदेव बनाम उगमा वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2016/00398 श्री लक्ष्मण नाथ योगी — रेस्पो. 5,3 6/1,2 6/3, रेस्पो. 2,3 7 से 9 4 श्री अमरसिंह राठौड़ 1, 4, 5/1, 5/2, 5/4, 6/1, 7 से 9	

सुखदेव बनाम उगमा वगैरह

24/12/21

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र सारहीन होने अपील निरस्त फरमाने पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01,4 5/1से 5/2, 5/4, 6/1, 7 से 9 को दिनांक 21.12.2021 प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने दौराने प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2015 बउनवानी सुखदेव बनाम उगमा वगैरह के पैरा संख्या 02 में परिवार का सजरा दर्शित कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 एवं मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 03 में कथन किया कि उपरोक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी/अपीलांट के दादा घीसा पुत्र रोड़ा की आराजीयात है। जिसमें भूमि पुश्तैनी होने के कारण उसका उसके पिता के जीवनकाल में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् उसका 1/5 हिस्सा निहित है तथा अपीलांट के पिता जीवित होने से प्रार्थी की बहनें रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 8 श्रीमती मैफूल व कमला तथा उसकी दो मातए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 0 4 हगामी एवं अनोपी पत्नियॉ उगमा को हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता है एवं प्रार्थी एवं अपीलांट ने प्रार्थना पत्र एवं अपील के साथ जो समस्त राजस्व रिकार्ड उसके दादा घीसा का प्रस्तुत नहीं कर उसके पिता उगमा पुत्र घीसा के नाम का प्रस्तुत किया है। अपील में वर्णित कथनों से स्वंय सिद्ध है कि अपीलांट मात्र उसके पिता उगमा को विवादित आराजीयात में उसके 1/5 हिस्से तक रहन बेचान आदि से पाबंद करवाना चाहता था। वर्तमान में अपीलांट के पिता उगमा पुत्र घीसा का स्वर्गवास हो चुका है जो मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2021 की आदेशिका से स्वंय सिद्ध है। उसके पिता का स्वर्गवास हो जाने से उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जो भी हिस्सा अपीलांट को विरासत में प्राप्त करना चाहता है वह समक्ष न्यायालय (ग्राम पंचायत/तहसीलदार) के समक्ष विधिवत कार्यवाही कर चाराजोही कर सकता है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो जाने से उपरोक्त अपील सारहीन हो चुकी है। जिस हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर अपील को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होकर उक्त पुश्तैनी आराजीयात पर बहैसियत सहदायिक/सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। अपील में अपीलांट वर्णित आराजीयात में अपने 1/5 हिस्से तक रहन, बेचान आदि से पाबंद करवाना चाहता है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उगमा का स्वर्गवास हो जाने से उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अपना हिस्सा अपीलांट को विरासत में प्राप्त करना चाहता है।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। अवलोकन अभिभाषक उभयपक्ष के कथनानुसार अपीलाधीन भूमि अपीलांट एवं रेसपोडेन्टस संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होकर उक्त पुश्तैनी आराजीयात पर बहैसियत सहदायिक/सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजी रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 उगमा के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विवादित आराजी का अपीलांट अपील में वर्णित आराजीयात में अपने 1/5 हिस्से तक रेस्पोडेन्ट को रहन, बेचान आदि से

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2016/00398 श्री ... श्री ...	
लगातार	प्राबंद करवाना चाहता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उगमा का स्वर्गवास हो जाने से अपीलांट अपने हिस्से को विरासत में प्राप्त करने हेतु समक्ष न्यायालय (ग्राम पंचायत/तहसीलदार) के समक्ष विधिवत् कार्यवाही कर चाराजोही कर सकता है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। **अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अपील निरस्त फरमाने बाबत् को स्वीकार किया जाता है तथा अपील सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	